APP-A
Crim 1

FORM No
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.) मुकाम बाड़मेर

चिमनाराम पुत्र श्री रहिंगाराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा — बनाम — संजय कुमार पुत्र मुरलीधर वगैरहा

किस्म मुकदमा– रिव्यू आवेदन पत्र संख्या 12/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामिल में जारी हुआ
09.2.2017	प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के दौरान पंचायत निगरानी संख्या 12/2010 अनवान चिमनाराम बनाम ग्राम पंचायत कल्याण वगैरहा में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15.6.2016 को रिव्यू करने हेतु ओदश 47 सीपीसी के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मियाद के बिन्दू पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रकरण लोक अदालत के तहत पेश होने पर प्रार्थी कोर्ट केम्प पचपदरा में उपस्थित हुआ था परन्तु प्रार्थी के वकील की अनुपस्थिति में पत्रावली पर आदेश पारित किया गया। पारित आदेश में प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन नहीं किया गया एवं न ही कोई विवेचन किया गया। वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा था परन्तु अदालत द्वारा उक्त कब्जे का विवचेन किये जाने में भारी भूल की गई है। प्रार्थी एक गरीब तबके का व्यक्ति है। प्रकरण मे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपील या याचिका पेश करने में कानूनी प्रक्रियाओ में उलझ कर रह जायेगा। अतः उपरोक्त अनवान प्रकरण मे पत्रावली पुनः सुनवाई पर ली जाकर दोनो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं तथ्यो का अवलोकन कराते हुए निर्णय किया जाना आवश्यक है। आवेदन के साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत पेश कर रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर रिव्यू प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद सुमार कर, दर्ज कराने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है। प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र	

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2016 के विरूद्व करीब सात माह बाद दिनांक 11.1.017 को हमारे समक्ष पेश किया है। लोक अदालत/केम्प कोर्ट दिनांक 15.6.2016 को उपस्थित होने हेतु प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, जो स्वयं उसके द्वारा तामील किया गया एवं प्रार्थी स्वयं कोर्ट केम्प में उपस्थित रहा। अतः प्रार्थी का यह कहना कि उसे निर्णय की जानकारी तारीख 8.12.2016 को हुई, मानने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी के वकील द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है, जो दर्ज करने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिसके फलस्वरूप रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से इसी प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र रज्जू फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)